डा0 बी0 राजेन्दर, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा दिनांक 30.12.2010 को 3.00 बजे अप0 बेतिया अंचल अन्तर्गत हल्का सं0—03 का किए गए निरीक्षण की टिप्पणी :—

1.0 परिचय :—

हल्का संख्या—3 बेतिया अंचल कार्यालय से दक्षिण के0आर0 विद्यालय रोड में श्री मुकेश राम सहायक शिक्षक, उच्च विद्यालय रक्सौल के मकान पर अवस्थित है, जिसका मकान भाड़ा 500/—रूपया प्रतिमाह मकान मालिक को दिया जाता है। इस हल्का में तीन पंचायत है, जिसके अनतर्गत चार राजस्व ग्राम है। श्री छट्ठू उरांव, राजस्व कर्मचारी इस हल्का में दिनांक—27.07.2008 से कार्यरत है।

1.1 पंचायत :—

पंचायत का नाम	पंचायत भवन	उच्च विद्यालय	मध्य विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय
1. गोनौली	01	—	02	04
2. पिपरा पकड़ी	01	—	01	05
3. अहवर मझरिया	01	—	02	03

2.0 राजस्व ग्राम का परिचय :—

क्र0	राजस्व ग्राम	थाना संख्या	कुल खेसरा	क्षेत्रफल एकड़ में	गैर0 मालिक	गैर0 आम	कुल जमाबन्दी	केसरे	अभियुक्ति
1.	गौनौली	191	4658	2484.64	151.41	94.24	2546	8.90	
2.	पिपरापकड़ी	246	4331	2590.26	632.53	13.58	3272		
3.	बैधनाथपुर	245	1246	597.29	54.20	13.16	900		
4.	अहवर मझरिया	249	2360	1135.35	122.58	29.54	15.57		
	योग:—			6807.54	960.72	150.52	8285	8.90	

3.0 पूर्व निरीक्षण :—

इस हल्का के निरीक्षण तत्कालीन अंचल अधिकारी, बेतिया एवं तत्कालीन अपर समाहर्त्ता मो0 सुलेमान के द्वारा किया गया था, जिसका निरीक्षण टिप्पणी गार्ड फाईल उपलब्ध है। निदेश दिया जाता है कि निरीक्षण में दिए गए निदेश के अनुपालन की क्या स्थिति है, स्पष्ट करें। यदि अनुपालन नहीं किया गया है तो एक सप्ताह में अनुपालन करें।

4.0 राजस्व वसूली :—

वित्तीय वर्ष 2009—10 एवं 2010—11 का राजस्व वसूली निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मांग	वसूली	जमा	प्रतिशत
2009—10	1,38,640.00	1,38,640.00	1,38,640.00	100
2010—11	91,151.00	40,710.00	40,710.00	44.66

वित्तीय वर्ष की वर्त्तमान वसूली दिनांक–28.12.10 तक कुल 40,710.00 रू0 है, जो अंचल नजारत में जमा है। नाजीर का एन0आर0 रसीद गार्ड फाईल में संधरित है। राजस्व वसूली कम रहने पर नाराजगी व्यक्त की गयी। निदेश दिया गया कि इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लक्ष्य को हासिल करें।

5.0 पंजी :–

पंजी 111 एवं 111 ए0ए0 का अवलोकन किया। दिनांक–30.12.10 तक दोनों पंजी अद्यतन है।

6.0 गैरमजरूआ मालिक जमीन :–

हल्का सं0–03 के अनतर्गत मौजावार गैरमजरूआ मालिक पंजी संधारित है। इस हल्का में सर्वे खतियान में उपलब्ध है, कुल गैरमजरूआ मालिक जमीन 960.72 एकड़ है।

7.0 गैरमजरूआ आम जमीन :–

इस हल्का के अनतर्गत गैरमजरूआ आम पंजी संधरित है। कुल गैरमजरूआ सर्वे खतियान के अनुसार आम जमीन 150.52 एकड़ है।

8.0 भूहदबंदी :–

भूहदबन्दी रैयत इस हल्का के अनतर्गत क्रमश :–1 श्री काशीनाथ राय 2. महन्थ मंगल भगत 3. राम एकबाल सिंह 4. शैल कुमारी देवी 5. अयोध्या राय 6. सेखौवना मठ है जिसका वर्णन निम्नवत् है :–

1. श्री काशीनाथ राय :–
   इस भूधारी का भूहदबन्दी वाद स0–13/76–77 है अधिशेष अर्जित भूमि का रकबा 5.01 एकड़ है। तथा वितरित भूमि का रकबा 5.01 एकड़ है।लभावनित की संख्या 5 है।

2. महन्थ मंगल भगत :–
   इस भूधारी का भूहदबन्दी वाद सं0–5/76–77 है। अधिशेष अर्जित भूमि का रकबा 20.00 एकड़ है। तथा वितरित रकबा भी 20.00 एकड़ है। लभावन्ति की संख्या 17 है।

3. एकबाल सिंह :–
   इस भूधारी का भूहदबन्दी वाद स0–5/76–77 है। अधिशेष अर्जित भूमि का रकबा 10.32 एकड़ है तथा वितरित रकबा भी 10.32 एकड़ है। लभावन्ति की संख्या 10 है।

4. शैल कुमारी देवी :–
   इस भूधारी का भूहदबन्दी वाद स0–2/91–92 है। अधिशेष अर्जित भूमि का रकबा 23.77 एकड़ है। तथा वितरित भूमि का रकबा 16.79 एकड़ है। लभान्वितों की संख्या–34 है।

5. अयोध्या राय :–
   इस भूधारी का भूहदबन्दी वाद सं0–4/91–92 है। अधिशेष अर्जित भूमि का रकबा 19.55 एकड़ है। वितरित भूमि का रकबा 17.53 एकड़ है। लभान्वितों की संख्या–35 है।

6. सेखौना मठ :–
   इस भूधारी का भूहदबन्दी वाद सं0.................... है। अधिशेष अर्जित भूमि का रकबा 223/51.5 एकड़ है, तथा वितरित भूमि का रकबा 163/70.5 एकड़ है। लभान्वितों की

संख्या–243 है। वितरण के बाद समाहर्त्ता न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश अभ्युक्ति कालम में इन्द्राज है।

9.0 सैरात :–

इस हल्का के अनतर्गत सैरात पंजी संधरित है। इस हल्का के अन्तर्गत छः सैरात है। हरिवाटिक, लालगढ़, सिंधाछापर, मंसारोड किनारे फलकर सुरक्षित जमा 403 रूपया।

9.1 बैद्यनाथपुर, अहवर मझरिया, खजूर पेड़ फलकर, सुरक्षित जमा 403 रूपया ।

9.2 पिपरा पकड़ी बाजार, सुरक्षित जमा–31223.10 डाक हो चुका है डाक प्राप्तकर्त्ता श्री मुक्ति प्रसाद पिता चन्द्रदेव महतो हैं।

9.3 पिपरा पकड़ी फलकर सुरक्षित जमा 79.00 डाक प्राप्तकर्त्ता श्री प्रमोद साह पिता गया साह हैं।

9.4 गोनौली फलकर सुरक्षित जमा – 77.00 डाककर्त्ता प्रमोद साह पिता–गया साह है।

9.5 पिपरा पकड़ी– गोनौली खजूर फलकर सुरक्षित जमा–155.00

10.0 बन्दोबस्ती :–

इस हल्का के अन्तर्गत गैरमजरूआ मालिक पंजी सह बन्दोबस्ती पंजी एक साथ संधरित है।

11.0 प्रश्रय प्राप्त रैयत पंजी :–

इस हल्का के अन्तर्गत प्रश्रय प्राप्त रैयत पंजी संधरित है। वर्ष 2010–11 में एक भी मामला प्रश्रय प्राप्त रैयत से संबंधित आवेदन प्राप्त नहीं है।

12.0 कैसरे हिन्द :–

इस हल्का के अन्तर्गत कैसरे हिन्द पंजी संधारित है। इस हल्का के अन्तर्गत मौजा गोनौली थाना सं0–191 के अन्तर्गत रेलवे की जमीन है, जिसका खाता 682, खेसरा 220, रकबा 8.90 एकड़ है, जो कैसरे हिन्द की जमीन है।

13.0 बेतिया राज :–

बेतिया राज के भूमि का सवेक्षण सूचि मौजा गोनौली, थाना नं0–191 संधरित है।

14.0 खास महाल :–

इस हल्का के अन्तर्गत खास महाल भूमि नहीं है। इसकी जानकारी प्राप्त करें।

15.0 डायरेक्ट्री पंजी :–

इस हल्का के अनतर्गत राजस्व विवाद डायरेक्ट्री पंजी उपलब्ध है। इस पंजी को अद्यतन रखें।

16.0 मुख्यमंत्री जनता दरबार एवं जिला/अनुमंडल/पंखंड जनता दरबार :–

इस हल्का के अन्तर्गत मुख्यमंत्री जनता दरबार से प्राप्त आवेदन पंजी की जाँच एवं जनता दरबार पंजी की जाँच प्रतिवेदन की फाईल संधारित है। वर्ष 2010–11 में अठारह आवेदन पत्र जाँच हेतु प्राप्त हुए हैं, तथा अठारह आवेदन पत्रों का जाँच कर प्रतिवेदन अंचल कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है। इस तरह के मामलों में देरी नहीं करें। जैसे ही कोई आवेदन प्राप्त होते हैं जांच कर तुरंत अग्रेत्तर कार्रवाई करें।

17.0 सूचना के अधिकार :–

हल्का सं0–03 के अन्तर्गत सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच का संचिका संधारित है। वर्ष 2010–11 में सूचना के अधिकार के तहत सात आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिसका जबाव अंचल कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है। सूचना का अधिकार महत्वपूर्ण विषय है, इसमें कोताही नहीं बरतें। जैसे ही कोई आवेदन प्राप्त हो समय सीमा के अंदर कार्रवाई करते हुए निष्पादन करें।

18.0 खाता पुस्तिका :–

मौजा बैद्यनाथपुर थाना नं0–245 के अन्तर्गत खाता पुस्तिका का काम आरम्भ हुआ, परन्तु वर्त्तमान में अंचल अमीन स्थाई नहीं रहने के कारण प्रगति प्रतिवेदन लम्बित है। खेसरा पंजी उपलब्ध है।

19.0 दाखिल खारिज पंजी :–

इस हल्का के अन्तर्गत दाखिल खारिज पंजी संधारित है। वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत कुल दाखिल खरिज हेतु 161 आवेदन–पत्र प्राप्त हुए जिसमें 148 दाखिल खारिज आवेदन पत्रों का निष्पादन किया जा चुका है। जिसका सुद्वि पत्र गार्ड फाईल में संधारित है। शेष 13 दाखिल खारिज आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है। ये 13 आवेदन पत्र दिनांक 29.12.12 को प्राप्त हुए हैं। इन सभी पर तेजी से कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के अंदर इसका निष्पादन सुनिश्चित करें।

20.0 लगान रसीद :–

इस हलका के अन्तर्गत लगान रसीद का स्टॉक पंजी संधारित है। वर्ष 2010–11 में दिनांक 30.12.10 तक कुल 32 लगान रसीद बही प्राप्त हुआ है, जिसमें 30 का व्यवहार किया जा चुका है। शेष 2 बचा हुआ है। लगान वसूली कार्य में तेजी लाकंर लक्ष्य पूरा करें।

21.0 माँग वसूल पंजी :–

इस हल्का के अन्तर्गत मांग वसूल पंजी संधारित है। वर्ष 2010–11 में मांग 91,151.00 रूपया है, जिसके विरूद्व दिनांक 30.12.10 तक कुल वसूली 40,710.00 रूपया की गयी है, जो अंचल नजारत में जमा है, जिसका प्रतिशत 44.66 प्रतिशत है। वसूली लक्ष्य से काफी कम है। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। निर्धारित समय सीमा के अंदर लक्ष्य पूरा करें।

22.0 खेसरा वर्गीकरण :–

इस हल्का के अन्तर्गत चारों मौजा का खेसरा वर्गीकरण फाईल संधारित है। इसे सही से रखें ताकि समय पर इसका अवलोकन किया जा सके।

23.0 अतिक्रमण :–

हल्का संख्या–3 के अन्तर्गत अतिक्रमण पंजी संधारित है। वर्ष 2010–11 में अतिक्रमण से संबंधित एक भी आवेदन पत्र अभी तक प्राप्त नहीं है। यदि इस तरह के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो तेजी से कार्रवाई करें।

24.0 अग्निकाण्ड :–

अग्निकाण्ड से संबंधित संचिका संधारित है। ग्राम पंचायत राज पिपरा पकड़ी के टोला रानी पकड़ी में वर्ष–2010–11 में कुल 696 परिवार अग्निकाण्ड से प्रभावित हुये थे, जिसकी सूची इन्द्राज है। इस संबंध में राहत

हेतु क्या कार्रवाई की गयी है, स्पष्ट नहीं किया गया। निदेश है कि इस संबंध में की गयी कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन अंचल अधिकारी के माध्यम से एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाय।

25.0 हल्का पंजी :–

हल्का संख्या–03 के अन्तर्गत हल्का पंजी संधारित है। इसे अद्यतन रखी जाय।

26.0 अंचल से प्राप्त आवेदन पत्रों की पंजी :–

हल्का संख्या–03 के अन्तर्गत अंचल से प्राप्त आवेदन पत्रों की पंजी संधारित है। वर्ष 2010–11 में कुल 63 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसका निष्पादन कर दिया गया है। प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा पुनः कर ली जाय। यदि लंबित हो तो उस पर कार्रवाई कर उसका शीघ्र निष्पादन किया जाय।

27.0 दाखिल खारिज शिविर न्यायालय :–

इस हल्का के अन्तर्गत दाखिल खारिज शिविर न्यायालय से संबंधित पंजी संधारित है। मौजा अहवर मझरिया थाना सं0–249 के अन्तर्गत कुल 61 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसका निष्पादन हल्का कर्मचारी द्वारा कर दिया गया है।

28.0 कर्म पुस्तिका :–

इस हल्का अन्तर्गत कर्म पुस्तिका संधारित है। अद्यतन रखने का निदेश दिया गया।

29.0 अग्रिम भम्रण पंजी :–

इस हल्का के अन्तर्गत अग्रिम भम्रण पंजी संधारित है जिसमें पदाधिकारियों से प्राप्त भ्रमण कार्यक्रम एवं हल्का का भ्रमण कार्यक्रम रखा जाता है।

30.0 बंधुआ मजदूर :–

इस हल्का में बंधुआ मजदूर पंजी उपलब्ध है। वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत बंधुआ मजदूरों की संख्या शून्य है। इसकी जानकारी प्राप्त कर कार्रवाई करें।

31.0 व्यवसायिक लगान :–

हल्का संख्या–3 के अन्तर्गत व्यवसायिक लगान के मामले हल्का कर्मचारी द्वारा 10 बतलाई गई। व्यवसायिक लगान संबंधी पंजी संधरित है। इन लंबित मामलों पर विभागीय निदेश के आलोक में कार्रवाई की जाय।

32.0 लोक सभा एवं विधान सभा :–

इस हल्का के अन्तर्गत लोक सभा एवं विधान सभा/विधान परिषद् पश्नों से संबंधित पंजी संधारित है। इस तरह के जब भी कोई प्रश्न प्राप्त होते हैं उसका उत्तर उसी दिन बनाकर उचित माध्यम से भेजें ताकि उसे ससमय सरकार को भेजा जा सके।

33.0 बटाईदारी :–

इस हल्का के अन्तर्गत बटाईदारी पंजी उपलब्ध है। वर्ष 2010–11 में बटाईदारी से संबंधित मामला शून्य है। इस संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

34.0 बेदखली :–

इस हल्का के अन्तर्गत बेदखली पंजी उपलब्ध है। वर्ष 2010–11 में बेदखली का मामला शून्य है। इस संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

35.0 साहूकारी पंजी :–

इस हल्का के अन्तर्गत साहूकारी पंजी उपलब्ध है। वर्ष 2010–11 में साहूकारी से संबंधित कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है। इस संबंध में क्षेत्र के लोगों से जानकारी प्राप्त करें, अनुश्रवण करें एवं कार्रवाई करें।

36.0 न्यूनतम मजदूरी :–

इस हल्का के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी पंजी उपलब्ध है। वर्ष 2010–11 में न्यूनतम मजदूरी का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर कार्रवाई की जाय।

37.0 जमाबन्दी सुधार :–

हल्का संख्या–3 के अन्तर्गत जमाबंदी सुधार पंजी संधारित है। वर्ष 2010–11 में दो आवेदन पत्र जमाबन्दी सुधार से संबंधित प्राप्त हुये जिसका निष्पादन कर दिया गया है।

38.0 महादलित :–

इस हल्का अन्तर्गत महादलित पंजी संधारित है।

39.0 खेसरा पंजी :–

हल्का संख्या–03 के अन्तर्गत मौजा बैद्यनाथपुर थाना संख्या–245 एवं मौजा अहवर मझरिया थाना संख्या–249 के अन्तर्गत खेसरा पंजी संधारित है।

40.0 गार्ड फाईल :–

1. नाजीर रसीद गार्ड फाईल
2. शुद्वि पत्र गार्ड फाईल
3. रेन्ट रौल गार्ड लगान निर्धारण
4. रेन्ट रौल गार्ड फाईल बन्दोबस्ती
5. निर्देश गार्ड फाईल एवं निरीक्षण टिप्पणी गार्ड फाईल
6. रेन्ट रौल गार्ड फाईल वासगीत पर्चा का

41.0 सामान्य :–

श्री छदू उरांव, राजस्व कर्मचारी, हल्का नं–3 का कार्यकलाप संतोषजनक नहीं है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में राजस्व वसूली 91,151.00 रू0 लक्ष्य के विरूद्ध दिनांक 30.12.2010 तक मात्र 40,710.00 रू0 की वसूली की गयी है जो कुल का 44.66 प्रतिशत मात्र है। राजस्व वसूली में तेजी लाकर लक्ष्य पूरा करें। संचिकाओं एवं पंजियों का सही ढंग से संधारण करें। जो खतियान, नक्शा हल्का मुख्यालय में उपलब्ध नहीं है उसे प्राप्त करने की कार्रवाई करें। सैरातों की बंदोबस्ती, भू–हदबंदी वाद एवं बेतिया राज की जमीन पर अतिक्रमण को हटाने पर विशेष ध्यान दें।

Rajendra 15.1.2011
(बी0राजेन्दर)
समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 110 /गो0, दिनांक 15/01/2011

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर, की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Rajendra 15.1.2011
(बी0राजेन्दर)
समाहर्त्ता
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 110 /गो0, दिनांक 15/01/2011

प्रतिलिपि :– श्री छठू उरांव, राजस्व कर्मचारी, हल्का नं–3, अंचल बेतिया को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेतिया सदर/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, बेतिया/अंचल निरीक्षक, बेतिया/प्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/प्रबंधक, बेतिया राज, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajender 15.1.2011

(बी0राजेन्दर)
समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।